

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं० 350
4/13/14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक 29/6/13 को ग्राम हल्का कचहरी में आयोजित कैम्प में
श्री सुती प्रियलता सिंह पति रंजीत कुं. सिंह (श्री श्री गणेश पेश नारायण
(3) राज्य शासन (नाबालीग) बल्द रंजीत कुं. सिंह गार्डिन प्रियलता सिंह
ग्राम नौतनपुर धाना चण्डी जिला नालन्दा
बसीका नं० 837 दिनांक 17/1/11 के द्वारा निर्माकित जमीन का
दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

| मौजा | धाना नं० | खता नं० | प्लॉट नं० | रकबा | लगान |
|----------|----------|---------|-----------|-------------------------|------|
| नौरतनपुर | 7 | 203 | 21 | 612.50" - (वर्गमीटर) | 1200 |

29/6/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज
..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर

MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर